

हिन्दी वाक्य रचना / सार्थकता, पदक्रम व अन्विति के विशेष लक्षण हैं।

आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य की परिभाषा देते हुए कहा है—  
“योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं।” यदि पदों के अभाव में वाक्य की संकल्पना असम्भव है तो इन शर्तों के अभाव में वाक्य की अवधारणा भ्रान्त एवं अशुद्ध होगी। पदों का समूह यदि वाक्य का शरीर है तो योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति आदि वाक्य के प्राण तत्त्व हैं। इसलिए इन्हें वाक्य के मूलाधार भी कहा है। इसके साथ-सू व्यापक दृष्टि से पदक्रम और अन्विति को भी वाक्य के मूलाधारों में गिना जाता है। यहाँ हम वाक्य रचना का वाक्य के अति महत्वपूर्ण तत्वों— सार्थकता, पदक्रम और अन्विति की दृष्टि से अध्ययन करेंगे।

I सार्थकता - हिन्दी वाक्यों की रचना सार्थक पदों के योग से ही सम्भव होती है। यह सार्थकता दो प्रकार की हो सकती है -

1. स्वकी सार्थकता

2. वाक्यगत सार्थकता

1. स्वकी सार्थकता - यदि किसी शब्द या पद का कोई अर्थ ही नहीं होगा, उस भाषा विशेष के लिए उन शब्द से परिचित नहीं होंगे तो ऐसे शब्दों या पदों के योग से बने वाक्य को हम वाक्य नहीं मान पाते हैं। अतः जब वाक्य में किसी प्रयोजन, भाव, विचार, वस्तु का बोध और सम्प्रेषण है, तो उसका और पदों का सार्थक होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए -

‘मैं गुंफा नहीं करूँगा’ इस वाक्य में प्रयुक्त ‘गुंफा’ शब्द निरर्थक है, हिन्दी भाषा में प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए एक शब्द की निरर्थकता ने सम्पूर्ण वाक्य को ही निरर्थक कर दिया है। इसके शेष तीनों पद मिलकर भी किसी प्रयोजन, किसी भाव-विचार सम्प्रेषण को सम्पादन नहीं कर पाते। अतः वाक्य तभी वाक्य होता है, जब वह वक्ता का आशय सम्प्रेषण करे। यदि सम्प्रेषण में रुकावट या असफलता उत्पन्न है और उसका कारण वाक्य के अनेक पदों में से किसी एक पद की निरर्थकता होती है, तो वहाँ वह पद की सार्थकता की आवश्यकता अनुभव होती है। इसलिए पूर्ण एवं सहज भाषा सम्प्रेषण के लिए वाक्य में श्रोता की दृष्टि से सभी सार्थक एवं परिचित पदों का प्रयोग अनिवार्य है।

I वाक्यगत सार्थकता - इससे अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त पद आपसी योग्यता से परिपूर्ण होने चाहिये। वाक्य में प्रयुक्त पदों में केवल व्याकरणिक अनुकूलन ही नहीं होता, बल्कि अर्थपरक अनुकूलन भी होता है। उदाहरण के लिए - वह आकाश में उड़ता है।

वह आकाश को खाता है।  
यहाँ प्रथम वाक्य के आकाश एवं उड़ता में व्यवहारिक संगति है, परन्तु आकाश एवं खाता में कोई भी व्यवहारिक संगति नहीं है। इसलिये यह अर्थपरक असंगति केवल इस दूसरे वाक्य को अव्यवहारिक ही नहीं बना रही, बल्कि उसे वाक्य सिद्ध भी नहीं होने दे रही। इसलिये वाक्य में प्रयुक्त सभी पद आपस में व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त, सार्थक, अनुरूप भी होने चाहिये।

II पदक्रम - भाषा एक व्यवस्था है तथा इसमें अनेक उपव्यवस्थाएँ भी विद्यमान रहती हैं। इन उपव्यवस्थाओं में वचन्यात्मक, रूपात्मक, एवं वाक्यात्मक उपव्यवस्थाएँ आती हैं। व्यवस्था का अभिप्राय है प्रत्येक कार्य एक सुनिश्चित क्रम एवं स्थिति में होना चाहिये। वाक्य में पदों का प्रयोग एक सुनिश्चित रूप और क्रम में होता है। डॉ० मोलानाथ तिवारी के अनुसार पदक्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की हैं - एक वे जिनके वाक्यों में पद एक सुनिश्चित व्यवस्था एवं नियम के साथ प्रयुक्त होते हैं, हिन्दी इसी प्रकार की भाषा है। उदाहरणार्थ -

राम मोहन को बुलाता है।

मोहन राम को बुलाता है।

दोनों में समान पद होते हुए भी दोनों के आशय में अन्तर है। दोनों वाक्यों में यह अन्तर पद-भेद, पद-लोप, पद-योग के कारण न होकर पद-स्थान परिवर्तन के कारण है।

दूसरी प्रकार की भाषाओं में पदक्रम का नियम शिथिल होता है। संस्कृत जैसी योगात्मक भाषाओं में पदक्रम का उतना महत्त्व नहीं है। जैसे - वाक्यं रसात्मकं काव्यं, रसात्मकं वाक्यं काव्यं, काव्यं वाक्यं रसात्मकं। तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है। भारतीय आर्य भाषाओं में यह योगात्मकता धीरे-धीरे वियोगात्मकता में बदलती गई और इसलिये पदक्रम का महत्त्व हिन्दी तक आते-आते बढ़ता गया।



हिन्दी में पदक्रम की व्यवस्था तथा अर्थ की अभिव्यक्ति —

कता-कर्म पदक्रम - हिन्दी में सरल वाक्यों में प्रत्येक पद का एक सुनिश्चित क्रम स्थापित है। हिन्दी में न्यूनतम पाँच प्रकार के वाक्य हैं। उनका पद क्रम इस प्रकार है —

अकर्मक - कर्ता + क्रिया - दिनेश दौड़ता है।

सकर्मक - कर्ता + कर्म + क्रिया - अशोक पत्र लिखता है।

द्विकर्मक - कर्ता + गौण कर्म + मुख्य कर्म + क्रिया - अशोक ने मोहन को <sup>सचिव</sup> <sub>करवा</sub>।

कर्तृपूरक - कर्ता + पूरक + क्रिया - वह बीमार है।

कर्मपूरक - कर्ता + कर्म + पूरक + क्रिया - छात्रों ने मोहन को <sup>सचिव</sup> <sub>करवा</sub>।

इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता और यही हिन्दी की व्यवस्था है। इसे ही हिन्दी का पदक्रम कहते हैं।

II विशेषण - विशेष्य का प्रयोग - विशेषण का प्रयोग सामान्यतः

विशेष्य के पूर्व होता है। जैसे - आवक दिनेश दौड़ता है,

वह अच्छा लड़का है।

II क्रिया पदक्रम - प्रत्येक वाक्य में अन्तिम पद क्रियापद होता है।

वह खेलता है। हम खाना खाते हैं।

क्रियापद विस्तार में क्रिया के पूर्व क्रिया विशेषण का योग किया जाता है।

जैसे - वह खाना धीरे-धीरे खाता है। तुम तेज चलते हो।

II सम्बोधन प्रायः वाक्य के प्रारम्भ में आता है। जैसे -

देवदास! आना।

भगवान! तुम कहाँ हो?

कर्मवाच्य पदक्रम - कर्तृवाच्य में यदि पदक्रम कर्ता + कर्म + क्रिया होता है, तो कर्मवाच्य में कर्ता-कर्म में स्थान विपर्यय हो जाता है।

यथा - कर्म + कर्ता + क्रिया।

बढ़ई मैज बनाता है। (कर्तृवाच्य)

मैज बढ़ई के द्वारा बनाई जाती है। (कर्मवाच्य)

II विस्मयबोधक अव्यय पदक्रम - इसका प्रयोग वाक्य के प्रारम्भ में होता है। जैसे - (प्रवल भाव)

वाह! कितना सुन्दर दृश्य है।

II निषेधात्मक अव्यय पदक्रम - इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से पूर्व होता है। यथा - वह अज नहीं आखगा।

तुम वहाँ मत बैठो।

VIII प्रश्नवाचक अव्यय पदक्रम - इसका प्रयोग सम्बद्ध शब्द से पूर्व होता है। यथा - क्या तुम यहाँ रहते हो?

तुम क्या पढ़ रहे हो?

IX बलादात्मिक पदक्रम - हिन्दी में विविध परिस्थितियों में पदक्रम भंग भी होता है। यह पदक्रम भंग एक विशेष स्थिति को व्यंजित करता है। अतः यह पदक्रम भंग व्याकरणिक दृष्टि या अशुद्धि न होकर विषय को प्रभावशाली ढंग से रखना होता है। इसे व्याकरणिक दृष्टि से बलादात्मक कहते हैं।

I सरकार हमारी बात सुनेगी। सामान्य कथन

II सरकार सुनेगी हमारी बात। सरकार की निश्चयात्मकता पर ध्यान

III बात सुनेगी सरकार हमारी। बात पर बल

IV सुनेगी बात हमारी सरकार। सुनने पर बल

X ही, भी, तो, तक आदि जिस शब्द पर बल देना हो उसके बाद आते हैं। यथा - मैं ही आऊँगा। तुम भी चलना।

पद्यात्मक रचना की अपेक्षा गद्य में पदक्रम

अधिक व्यवस्थित होता है। लिखित भाषा से उच्चरित भाषा

में पदक्रम अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट होता है।

III अन्विति - वाक्य में प्रयुक्त पद एक दूसरे के अनुरूप स्वं अनुकूल होते हैं। इसके लिए 'अन्वय' शब्द का प्रयोग होता है। अन्वय

अन्वय का अर्थ है - 'सम्बद्ध शब्दों में लिंग, वचन या पुरुष की

रुकरूपता'। अर्थात् वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में कुछ

व्याकरणिक अनुशासनों को अन्वय या अन्विति कहते हैं।

डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार - 'वाक्य में दो या दो से

अधिक शब्दों की आपसी व्याकरणिक रुकरूपता को अन्वय

कहते हैं।'

वाक्य में एक पद के अनुरूप कुछ अन्य पद रूप धारण

करते हैं। यह अनुरूपता लिंग, वचन स्वं पुरुष की दृष्टि

से होती है। अर्थात् वाक्य का कर्ता जिस लिंग, वचन का

होता है, क्रिया भी सामान्यता उसी लिंग वचन की होती है।

काल, वाच्य, कारक आदि का विभक्तियों से बोध होता है।

उनके अनुसार अन्विति नहीं होती। अन्वय का

अध्ययन (क) कर्ता-क्रिया अन्विति (ख) संज्ञा-सर्वनाम

अन्विति (ग) कर्म-क्रिया अन्विति (घ) विशेषण-

विशेष्य अन्विति (ङ) सम्बन्ध और सम्बन्धी अन्विति

में कर सकते हैं। उपरोक्त अन्विति का संक्षेप में

वर्णन इस प्रकार है -



क) कर्ता और क्रिया का अन्वय - वाक्य में कर्ता और क्रिया के प्रयोग में अनिवार्य आवश्यक है। इस अनिवार्य के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं -

(i) यदि कर्ता 'ने' विभक्ति से रहित है तो क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुरूप होते हैं जैसे - मोहन पढ़ता है।  
सीता गाती है।

(ii) यदि कर्ता एक से अधिक है तो क्रिया बहुवचनान्त होती है जैसे - राम और रमेश पढ़ते हैं।

(iii) यदि एक वचनान्त कर्ता एक से अधिक हों, किन्तु उनके बीच में 'या' 'अथवा' का प्रयोग हो तो क्रिया एकवचन होगी -  
राम या श्याम अथवा मोहन जायगा।

ख) आदरार्थक एकवचन कर्ता के लिए भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे - पिताजी आत दिल्ली गए हैं।

ग) कर्ता में विभक्ति चिह्न 'ने' हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं। जैसे -  
उसने पुस्तक पढ़ी।  
मैंने फल खाया।

घ) जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिह्न हों तो क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन होती है। जैसे -  
लड़की ने लड़के को देखा।

च) संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय - सर्वनाम पद जिस संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसके अनुरूप ही उसमें लिंग और वचन का प्रयोग होता है। जैसे -

I शीला समझदार है, वह समय पर अपना सारा काम करती है।

II लच्छे अनुकरणशील होते हैं, वे जैसा देखते हैं, वैसा करते हैं।

ज) कर्म और क्रिया का अन्वय - इनके सरल वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। संज्ञा न होने पर वाक्य आशुक्त हो जाता है।

(i) कर्मणि प्रयोग में कर्म की प्रमुखता के कारण क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्म के अनुरूप होते हैं -

मैंने पुस्तकें पढ़ी सीता ने फल खाया।

(ii) कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे -  
उससे रोटी नहीं खाई जाती है।

(iii) भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन, अन्यपुरुष में

में जाती है जैसे -

मुझसे हँसा नहीं जाता।

लड़कियों से गाया नहीं जाता।

ध. विशेषण और विशेष्य का अन्वय - वाक्य में विशेषण के लिंग, वचन सदा विशेष्य के अनुरूप होते हैं। जैसे काला घोड़ा, पुरानी पुस्तक आदि। किन्तु कभी-कभी यदि विशेषण एक हो और विशेष्य अनेक हों तो विशेषण के लिंग, वचन उनके निकटतम विशेष्य के अनुरूप होंगे। जैसे कक्षा में गुणवती लड़कियाँ और लड़के पढ़ते हैं।

॥ मैंने अच्छी पुस्तकें और ग्रन्थ पढ़े।

ड. सम्बन्ध और सम्बन्धी का अन्वय - वाक्य में सम्बन्ध वाचक के प्रयोगों में सम्बन्ध और सम्बन्धी का अन्वय आवश्यक है। सम्बन्ध वाचक पद में उनी लिंग, वचन का प्रयोग होना चाहिए जो सम्बन्धी का हो। जैसे

१. यह राम की पुस्तक है।

॥ यह मोहन का घोड़ा है।

इस प्रकार पदक्रम और अन्वय वाक्य की व्यापारिक और व्याकरणिक इच्छा, संगति के लिए अनिवार्य हैं। इनके अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है।